



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2007/पौष 13, 1928

No. 3]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2007/PAUSA 13, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 3(अ).—राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 नामक क्रियायत्र प्रारूप नियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ) तारीख, 21 सितंबर 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 22 सितंबर 2006 में प्रकाशित, किए गए थे, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और प्रारूप नियमों की राजपत्र प्रतियां, जिसमें उन्हें प्रकाशित किया गया था, जनता को 22 सितंबर, 2006 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी नियम, 2006 है ।
 (2) ये राजभव ने इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होने ।
2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) अभिप्रेत है ;
 (ख) “केन्द्रीय सरकार” से केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय अभिप्रेत है ;
 (ग) “राष्ट्रीय नियम” ते धरा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी नियम अभिप्रेत है ;
 (घ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।
3. **राष्ट्रीय नियम लेखा -** राष्ट्रीय नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक लेखा में रखी जाएगी ।
4. **नियम का उपयोग -** केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नियम का उपयोग अधिनियम के कार्यान्वयन पर व्यय में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को चुकाने के लिए किया जाएगा जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् के व्यय भी हैं ।
5. **राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को नियम से अनुदान जारी करना -**
 - (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व 31 जनवरी को या उस से पूर्व, अधिनियम और राज्य रोजगार गारन्टी रकीमों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के सभी सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट प्रस्तुत करेंगे ।
 - (2) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट में अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कार्यों से भिन्न किसी कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे ।
 - (3) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पहले उसे प्राप्त प्रत्यावरों की जांच कर सकेगा और अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा राष्ट्रीय नियम से राज्य सरकारों, और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी किए जाने वाली रकम का प्रावकलन कर सकेगा ।

(4) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निवेशों के अनुसार जारी की जाएंगी ।

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय, आपात आवश्यकताओं को पूरा करने और विहित औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण निधियों की अस्थाई कमी को पूरा करने के लिए, उन्हें जाग्रित दे सकेगा जितना निधियों के नियमित जारी किए जाने तक जिलों, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आवश्यक समझे और ऐसे अधिसंचय नियमित जारी की जाने वाली रकम में समायोजित किए जाएंगे ।

(6) राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि को मंजूर की गई रकम सीधे जारी की जा सकेगी ।

(7) राज्य रोजगार गारन्टी निधि और जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायत को राज्य रोजगार गारन्टी निधि से रकम जारी करने के लिए नियम संबद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे ।

(8) राज्य रोजगार गारन्टी निधि पृथक बैंक खाते में रखी जाएंगी जो कभी समाप्त न होने वाली होगी ।

(9) राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी, मंत्रालय द्वारा राज्य रोजगार गारन्टी निधि के माध्यम से या सीधे जिलों या किसी अन्य अभिकरण को जारी किए गए अनुदानों पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

(10) मंजूर की गई रकम राष्ट्रीय निधि से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पृथक बैंक खाते में सीधे जारी की जा सकेगी जो कभी समाप्त न होने वाली होगी ।

(11) निधियों जारी करने के संबंध में शिनिश्चय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के प्रमर्श से किया जाएगा ।

6. राष्ट्रीय निधि से केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को अनुदान जारी करना -

(1) परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के संबंध में व्ययों को चुकाने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदान केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को दिया जाएगा जो प्रारंभ में पांच करोड़ रुपए की राशि का होगा ।

(2) परिषद्, इस प्रकार दी गई निधियों के लिए अनुसूचित बैंक में बैंक खाता रखेगी ।

(3) परिषद् को अनुदान पूर्वती वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट और पहले से जारी की गई रकम के कम से कम साठ प्रतिशत का उपयोजन प्रमाणपत्र दे दिए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।

7. **अतिशेष बजट अनुदान** - प्रत्येक वर्ष के अतिशेष बजट अनुदान को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रीय निधि में अंतरित कर दिया जाएगा और वह राष्ट्रीय निधि में आरक्षिती का गठन करेगा।

8. **संपरिक्षा** - राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को राष्ट्रीय निधि से जारी किए गए अनुदानों की संपरिक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संबंधित महालेखाकारों के माध्यम से की जाएगी। आंतरिक स्तरेजा भारत सरकार के विभागाध्यक्ष (सचिव) की ओर से की जाएगी तथा मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा उसका पर्यवेक्षण और मानीटरी की जाएगी।

{ फा. सं. नं. 280(2/03/05-06-इजीएस]

अमित शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2007

G.S.R. 3(E).— Whereas certain draft rules namely, the National Employment Guarantee Fund Rules, 2006, were published in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number G.S.R. 590 (E) dated the 21st September, 2006 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) dated the 22nd September, 2006 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette;

And whereas Gazette copies of the draft rules in which they were published were made available to the public on 22nd September, 2006;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Employment Guarantee Fund Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b) "Central Government" means Central Government in the Ministry of Rural Development;

(c) "National Fund" means the National Employment Guarantee Fund established under sub-section (1) of section 20;

(d) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Account of the National Fund. - The National Fund shall be maintained by the Central Government in a Public Account.

4. Usage of the National Fund. - The National Fund shall be used by the Central Government to meet the Central Government share of expenditure on implementation of the Act including the grants to the State Governments and Union territories and the expenses of the Central Employment Guarantee Council.

5. Release of grants from the Fund to the State Governments and Union Territory Administrations. - (1) Before the beginning of each financial year on or before 31st January, all Secretaries of the State Governments and Union territories concerned with the implementation of the Act and the State Employment Guarantee Schemes shall present their annual work Plan and labour budget to the Ministry of Rural Development.

(2) The State Governments and Union territories may also in their annual work plan and labour budget submit proposals for any work other than those specified in Schedule I of the Act.

SI GT/67-2

(3) The Ministry of Rural Development may examine the proposals received by it on or before the 31st January of each financial year and review the performance of the states and Union territories with respect to the implementation of the Act and estimate the amount to be released to the State Governments and Union territory Administrations from the National Fund.

(4) Release of funds to the State Governments and Union territory Administrations shall be made in accordance with the directions issued by the Ministry of Rural Development from time to time.

(5) The Ministry of Rural Development may, in order to meet emergent needs and to meet the temporary shortage of funds on account of non-completion of prescribed formalities, give advances as it may consider necessary to the districts, States and Union territories pending regular release of funds and such advances shall be adjusted against regular releases.

(6) The sanctioned amount may be released directly from the National Employment Guarantee Fund to the State Employment Guarantee Fund under sub-section(1) of section 21.

(7) The rules for State Employment Guarantee Fund and the fund-flow from State Employment Guarantee Fund to the Districts, Block and Gram Panchayat may be notified by the concerned State Government.

(8) The State Employment Guarantee Fund shall be maintained in a separate bank account which shall be non-lapsable.

(9) The State Government or any other authority shall not create any encumbrance on the grants released by the Ministry either through the State Employment Guarantee Fund or directly to the districts or any other agency.

(10) The sanctioned amount may also be released directly from the National Fund to a separate bank account at the district level for the implementation of the Act, which shall be non-lapsable.

(11) The decision in regard to release of funds shall be taken by the Ministry of Rural Development in consultation with the concerned State Government and Union territory.

6. Release of grants from the National Fund to the Central Employment Guarantee Council. – (1) The Central Employment Guarantee Council shall be given a

grant every year with an initial corpus of five crores of rupees in order to meet the expenses in connection with the functions assigned to the Council.

(2) The Council shall maintain a bank account in a Scheduled Bank for the funds so given.

(3) The grants shall be given to the Council after audit report for the previous year and the utilization certificate for at least sixty per cent of the amount already released are furnished.

7. Balance budgeted grant. - The balance budgeted grant of each financial year shall be transferred to the National Fund before the close of the financial year and shall constitute the reserve in the National Fund.

8. Audit. - The grants released from the National Fund to the State Governments and Union territory Administrations shall be audited by the Comptroller and Auditor General through respective Accountant Generals. The internal audit shall be done on behalf of the Head of the Department (Secretary) to the Government of India and shall be supervised and monitored by the office of Chief Controller of Accounts.

[F. No. V. 28012/03/05-06-EGS]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, भृहस्पतिवार, मई 25, 2006/ज्येष्ठ 4, 1928

No. 225]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2006/JYAISTHA 4, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 311(अ).— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 के कतिपय प्रारूप नियमों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.175(अ), तारीख 21 मार्च, 2006 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 मार्च, 2006 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मार्गे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां तारीख 23 मार्च 2006 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रयुक्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)

अभिप्रेत है ;

(ख) “केन्द्रीय परिषद्” से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) “अध्यक्ष” से केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) “जिला पंचायत” से संविधान के भाग 9 के उपबंधों के अनुसार, जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (जहाँ किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है ;

(ङ) “कार्यकारिणी समिति” से नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है ;

(च) “सदस्य-सचिव” से केन्द्रीय परिषद् का सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;

(छ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ज) “स्कीम” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(झ) “तकनीकी सचिवालय” से तात्पर्य केन्द्रीय परिषद् का तकनीकी सचिवालय अभिप्रेत है ;

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए हैं ।

3. केन्द्रीय परिषद् - (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) संघ के ग्रामीण विकास मंत्री...अध्यक्ष, पदेन

(ख) (i) सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग... सदस्य, पदेन

- (ii) महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;
- (iii) कृषि मंत्रालय का एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;
- (iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;
- (v) जनजातीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;
- (vi) पंचायती राज मंत्रालय का एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;
- (vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;
- (viii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;
- (ix) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि, जो योजना आयोग में सलाहकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग के छह प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति के न हो सदस्य ;

(घ) पंचायती राज संस्थाओं, कर्मकारों और उपेक्षित समूहों के संगठनों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बारह सदस्य जिनमें चार महिलाएं होंगी और जिनमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे -

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अनुसूचित जातियों के दो प्रतिनिधि, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार में, एक वर्ष की अवधि के लिए चंगानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो जिला पंचायतों के अध्यक्ष ;

(ज) राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से -

(i) एक कार्य के किसी क्षेत्र, जैसे कि अधिनियम की अनुसूची- I के अधीन सूचीबद्ध अथवा अधिसूचित जल संरक्षण, भूमि विकास, घनसेपण और वृक्षारोपण तथा ग्रामीण अभियांत्रिकी में विशेषज्ञ होगा ;

(ii) एक सामाजिक लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ होगा ; और

(iii) एक मजदूरी रोजगार में विशेषज्ञ होगा ;

(d) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का भारसाधक संयुक्त संघिय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारसदस्य - सचिव

(2) केन्द्रीय परिषद् के कुल गैर-सरकारी सदस्यों में एक तिहाई से अधिक महिलाएँ होंगी ।

4. सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और हाते - (1) भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, जब तक वे अपने-अपने मंत्रालयों अथवा विभागों में सेवा कर रहे हैं अथवा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नामनिर्दिष्ट किए जाने तक, अपने पद धारण करेंगे ।

(2) राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(4) उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उसके स्थान पर नियुक्त किसी अन्य सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाएगा ।

(5) उपनियम (1) के खंड (घ) तथा (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य, अथवा केन्द्रीय परिषद् या कार्यकारिणी समिति की बैठकों में माग लेने के लिए, उच्चतम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुशङ्ख दरों पर यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

(6) केन्द्रीय परिषद् या उसकी कार्यकारिणी समिति की बैठक या किसी अन्य शासकीय कार्य के लिए, जिसमें भाग लेने के लिए, वे केन्द्रीय परिषद् के आमंत्रण पर नई दिल्ली स्थिति दुर्घास्थ में आते हैं, प्रतिदिन एक हजार रुपए की दर से मानदेय प्राप्त करने के भी हकदार होंगे ।

5. गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र, आदि - (1) कोई गैर-सरकारी सदस्य,-

(क) किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) उपनियम (2) में उल्लिखित कोई निर्भुता उपगत करने की दशा में पद से हटाया जा सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी यदि -

(i) उसे दिवालिया व्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ii) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नीतिक अव्यवस्था अंतर्दर्शित है ; या

(iii) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो चुका है ; या

(iv) उसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ; या

(v) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है ; या

(vi) वह अपने निर्धन्वन्त से परे कारणों के सिद्धाय या अध्यक्ष की अनुमति के बिना केन्द्रीय परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है ।

(3) किसी गैर-सरकारी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, उसे हटाए जाने के कारण या अन्यथा हुई शिक्षित को उसी दर्गा से भरा जाएगा, जिसका वह सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा था और नया नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह सदस्य जिसके स्थान पर वह आया है, पद धारण करने का हकदार होता, यदि शिक्षित न हुई होती ।

6. केन्द्रीय परिषद् की बैठकें और उसकी गणपूर्ति - (1) केन्द्रीय परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार या अधिक लगातार, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे स्थान और समय पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, बैठकें करेगी :

परंतु केन्द्रीय परिषद् की क्रमवर्ती बैठकों के बीच छह महीनों का अंतराल नहीं होगा ।

(2) अध्यक्ष केन्द्रीय परिषद् की प्रत्येक बैठक की जिसमें वे उपस्थित हों, अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में भारत सरकार का सचिव, ग्रामीण विकास विभाग अध्यक्षता करेगा ।

(3) केन्द्रीय परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति उसके कम से कम एक तिहाई सदस्यों से होगी ।

7. बैठकों की प्रक्रिया - (1) सदस्य - सचिव, केन्द्रीय परिषद् की बैठकों के लिए कम से कम चौदह दिन की स्पष्ट सूचना, उसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान बताते हुए देगा ।

(2) यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है, तो अध्यक्ष बैठक को किसी और दिन के लिए स्थगित कर सकेगा और स्थगित बैठक में उपस्थित अध्यक्ष और सदस्य गणपूर्ति करेंगे ।

(3) केन्द्रीय परिषद् की किसी बैठक के समक्ष लाए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय, बैठक में उपस्थित जिसके समक्ष वह प्रश्न लाया गया हो और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी मत देने के लिए अनुशास नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी संकल्प अथवा प्रश्न पर मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(5) सदस्य सचिव, किसी बैठक के तीस दिन के भीतर, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित उस बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा ।

8. केन्द्रीय परिषद् के कृत्य - (1) केन्द्रीय परिषद् धारा 11 के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद्, ऐसे नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, सदस्य-सचिव को उसके दैनिक कार्यों के लिए ऐसे वित्तीय और प्रशासनिक विषयों के संबंध में प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय परिषद् अपने लेखाओं और अन्य अभिलेखों की रख-रखाव की पद्धति और प्रक्रियाएं अधिकथित करेगी ।

(4) सदस्य-सचिव, केन्द्रीय परिषद् और कार्यकारिणी की कार्यवृत्त पुस्तिका और अन्य अभिलेखों की अभिलेखा और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा ।

9. कार्यकारिणी समिति - (1) केन्द्रीय परिषद् उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए कार्यकारिणी समिति नाम की एक समिति का गठन करेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(i) सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग -अध्यक्ष

(ii) वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय का प्रतिनिधि और दो सदस्य, जो राज्य सरकार के सचिव हों, जिन्हें कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(iii) केन्द्रीय परिषद् के चार गैर-सरकारी सदस्य, जिन्हें केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । -सदस्य

(3) सदस्य-सचिव, कार्यकारिणी समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

10. कार्यकारिणी समिति के कृत्य - (1) केन्द्रीय परिषद् के सामान्य अधीक्षण और निदेशों के अध्यधीन, कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय परिषद् के विनियमों को प्रभावी करने के लिए उपाय करना ;
 (ख) केन्द्रीय परिषद् के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का प्रबंध करना ;
 (ग) केन्द्रीय परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यवहार की मंजूरी देना ;
 (घ) तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञ दलों को नियुक्ति करना और अधिनियम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सलाह देना ;
 (ज) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाए ।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक, तीन माह में कम से कम एक बार अथवा यदि केन्द्रीय परिषद् अपेक्षा करे तो लगातार अधिक बार होगी ।

11. तकनीकी सचिवालय - (1) केन्द्रीय परिषद् और कार्यकारिणी समिति की तकनीकी सचिवालय द्वारा सहायता की जाएगी, जो अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए संभारतंत्र और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा इन नियमों के अनुसार स्थापित किया जा सकेगा ।

(2) सदस्य सचिव, तकनीकी सचिवालय का अध्यक्ष होगा और कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित प्रक्रियाओं, मानदंडों और निबंधनों के आधार पर वृत्तिक सेवाओं के सूचीबद्ध व्यक्ति उसमें होंगे ।

(3) तकनीकी सचिवालय में लगाए गए वृत्तिक सेवाओं वाले व्यक्ति धारा 11 में विनिर्दिष्ट कार्यत्मक क्षेत्रों की सेवाओं से संबंधित होंगे ।

12. केन्द्रीय परिषद् की निधियां - (1) केन्द्रीय परिषद्, अपने कार्यों और अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन उसे सौंपे गए कार्यों पर होने वाले खर्च की पूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में से उसे जारी किए गए वार्षिक अनुदान से करेगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद् की निधियां केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथाअनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्रचालित की जाएंगी ।

[का. सं. 24011/5/2005-एसजीआरकाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 311(E).—Whereas the draft of certain rules to be called the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006 were published, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) number G.S.R. 175(E), dated the 21st March, 2006 in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 23rd March, 2006 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 23rd March, 2006;

And whereas no objections or suggestions on the said draft rules were received by the Central government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) and (b) of sub-section (2), of Section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Rural Employment Guarantee(Central Council) Rules, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b) "Central Council" means the Central Employment Guarantee Council constituted under sub-section (1) of section 10;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Central Council;

(d) "District Panchayat" means an institution (by whatever name called) of self-government constituted under article 243B of the Constitution, for the rural areas at the district levels in accordance with the provisions of Part IX of the Constitution;

(e) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Central Council constituted under sub-rule (1) of rule 9;

(f) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Central Council;

(g) "section" means a section of the Act;

(h) "Scheme" means a scheme notified by a State Government under sub-section (1) of section 4;

(i) "Technical Secretariat" means the Technical Secretariat of the Central Council;

(j) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The Central Council.— (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Central Council constituted under sub-section (1) of section 10 shall consist of the following, namely:—

1575G1/06—2

(a) Union Minister for Rural Development..... Chairperson, *ex officio*;

(b) (i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development-member-*ex-officio*;

(ii) a nominee of the Ministry of Women and Child Development not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(iii) a nominee of the Ministry of Agriculture not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(iv) a nominee of the Ministry of Environment and Forest not below the rank of Joint Secretary to the Government of India member;

(v) a nominee of the Ministry of Statistics and Programme Implementation not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(vi) a nominee of the Ministry of Panchayat Raj not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(vii) a nominee of the Ministry of Tribal Affairs not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(viii) a nominee of the Ministry of Social Justice and Empowerment not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(ix) one representative of Planning Commission not below the rank of Advisor in the Planning Commission.... member;

(c) six representatives of the department of rural development of the State Governments who shall not be below the rank of Secretary to the concerned State Government to be nominated by the Central Government members;

(d) twelve members to be nominated by the Central Government from Panchayati Raj Institutions, organisations of workers and disadvantaged groups, of whom four shall be women, and shall include—

(i) two representatives to be nominated by the Central Government from the Scheduled Caste, one representative each from Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minorities;

(ii) Chairpersons of two District Panchayats nominated by the Central Government by rotation for a period of one year at a time;

(e) three members representing the States to be nominated by the Central Government of whom—

(i) one shall be an expert in any of the areas of works, such as water conservation, land development, afforestation and plantation and rural engineering, listed or notified under Schedule I of the Act;

(ii) one shall be an expert in social audit; and

(iii) one shall be an expert on wage employment;

(f) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Rural Development in charge of the National Rural Employment Act, 2005.....Member-Secretary.

(2) Not less than one-third of the total number of non-official members of the Central Council shall be women.

4. Terms and conditions of appointment of Members.— (1) The members representing the Ministries or Departments of the Government of India shall hold their offices as long as they are serving in their respective Ministries or Departments or till the concerned Ministry or Department nominates any other officer.

(2) The term of office of the official members representing the State Governments shall be for a period of one year.

(3) The term of office of the non-official members nominated under clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 shall be appointed for a period of one year.

(4) A non-official member nominated under clause (e) of sub-rule (1) shall be appointed for a period of two years or till any other member is appointed in his place takes charge, whichever is earlier.

(5) The non-official members nominated under clauses (d) and (e) of sub-rule (1) shall be entitled to receive travelling allowance and dearness allowance for attending the meetings of the Central Council or the Executive Committee, as the case may be, at the rates admissible to the Central Government servants of the highest grade.

(6) The non-official members shall also be entitled to receive honorarium at the rate of one thousand rupees per day for the days of the meeting of the Central Council or its Executive Committee or any other

official work for which they attend to at the headquarters at New Delhi or at any other place on invitation by the Central Council.

5. Resignation, etc. of non-official members.— (1) Any non-official member may,—

(a) by writing under his hand addressed to the Chairperson resign his office at any time;

(b) be removed from his office in case he incurs any disqualification mentioned in sub-rule (2).

(2) The Central Government may, remove from office a non-official member if he,—

(i) has been adjudged as an insolvent; or

(ii) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(iii) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(iv) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(v) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(vi) remains absent for three consecutive meetings of the Central Council except for reasons beyond his control or without permission of the Chairperson.

(3) Any vacancy caused in the Central Council due to resignation, death, removal or otherwise of a non-official member shall be filled from the same category to which such member was representing and the person newly nominated shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

6. Meetings of the Central Council and its quorum.— (1) The Central Council shall meet at least two times in a year or more frequently as it may consider necessary, at such place and at such time, as may be decided upon by the Chairperson:

Provided that six months shall not intervene between two consecutive meetings of the Central Council.

(2) The Chairperson shall preside at every meeting of the Central Council at which he is present, and in his absence, the Secretary to the Government of India, Department of Rural Development shall preside.

(3) Not less than one-third of the members shall constitute the quorum for the meetings of the Central Council.

7. Procedure of the meetings.— (1) The Member-Secretary shall give at least fourteen clear days notice for a meeting of the Central Council, giving therein the date, time and place of the meeting.

(2) If the quorum in the meeting is not present, the Chairperson may postpone the meeting to another date and the Chairperson and the members present at the postponed meeting shall constitute the quorum.

(3) Every question brought before any meeting of the Central Council shall be decided upon by a majority of the members present and voting at the meeting before which the matter is brought and no member shall be allowed to vote by proxy.

(4) In the case of an equality of votes on any resolution or question, the Chairperson shall have a casting or a second vote.

(5) The Member-Secretary shall, within thirty days of a meeting, circulate the minutes of that meeting duly approved by the Chairperson.

8. Functions of the Central Council.— (1) The Central Council shall perform the duties and discharge the functions assigned to it under section 11.

(2) The Central Council may, subject to such control and directions, authorise the Member-Secretary to deal with such financial and administrative matters for the day-to-day functioning.

(3) The Central Council shall lay down the systems and procedures for maintenance of its accounts and other records.

(4) The Member-Secretary shall be responsible for the custody and maintenance of the minutes book and other records of the Central Council and those of the Executive Committee.

9. Executive Committee.— (1) The Central Council shall constitute a Committee to be called the Executive Committee to assist it to discharge the duties and perform the functions assigned to it.

(2) The Executive Committee constituted under sub-rule (1) shall consist of the following, namely:—

(i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development. President;

(ii) The Financial Advisor, Ministry of Rural Development; representative of the Ministry of Panchayati Raj and two Members who are Secretaries of State Governments nominated by the Chairperson of the Executive Committee. Members;

(iii) Four non-official members of the Central Council to be nominated by the Chairperson of the Central Council. Members.

(3) The Member-Secretary shall be the Member-Secretary of the Executive Committee.

10. Functions of the Executive Committee.—(1) Subject to the general superintendence and directions of the Central Council, the Executive Committee shall perform the following duties and functions, namely:—

- (a) take steps to give effect to the decisions of the Central Council;
- (b) manage the administrative and financial affairs of the Central Council;
- (c) sanction expenditure in connection with the affairs of the Central Council;
- (d) appoint expert groups for technical support and advice to improve the quality of implementation of the Act;
- (e) exercise such powers and performs such functions as may be entrusted to it by the Central Council.

(2) The Executive Committee shall meet at least once in three months or more frequently, if required by the Central Council.

11. Technical Secretariat.—(1) The Central Council and the Executive Committee shall be assisted by a Technical Secretariat, which may be set up by the Central Government in accordance with these rules to provide logistic and technical support for the implementation of the provisions of the Act.

(2) The Technical Secretariat shall be headed by the Member-Secretary and persons of professional services enlisted on the basis of procedures, norms and terms decided by the Executive Committee.

(3) The persons of professional services engaged for the Technical Secretariat shall pertain to services in functional areas specified in section 11.

12. Funds of the Central Council.-- (1) The Central Council shall meet its expenses in connection with its affairs and the functions entrusted to it under the Act or these rules from the annual grants released to it by the Ministry of Rural Development out of the National Employment Guarantee Fund.

(2) The funds of the Central Council shall be operated through a scheduled bank as approved by the Central Council.

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jr. Secy.